संख्या-25/2016/ 2164 सी0डी0/46-3-16-1000(30)/2016

प्रेषक

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
मेरठ, हापुड, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2016

विषय-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-23 **(सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित **37 सडकों** का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक के कालम-6 में अंकित लागत की धनराशि के अनुसार कुल रू0 14,55,95,800/- (रू0 चौदह करोड पचपन लाख् पन्चानबे हजार आठ सौ मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 **(सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत, **योजना हेतु निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार**, 80 प्रतिशत शासकीय अंशदान के रूप में अनुपूरक के माध्यम से **बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 15,00,00,000/- (रू0 पन्द्रह करोड मात्र)** के सापेक्ष, संलग्न विवरण के अनुसार, रू0 11,12,32,000/- (रू0 ग्यारह करोड बारह लाख् बत्तीस हजार मात्र) के शासकीय अंशदान की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आंवटन किया गया है।

2- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

3- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अशंदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

4- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 होगी। समस्त कार्य उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 एवं इस संबंध में निर्गत शासनादेशों क्रमश संख्या-2392/23-1-2013-72 सा0/12, दिनांक 22.11.2013, व संख्या- 300/2600/23-1-2014-72 सा0/12,

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 26.12.2014 में निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जायेगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

5- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 तथा शासनादेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के **स्तम्भ-9** में अंकित सेन्टेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को एवं संलग्नक के **स्तम्भ-8** में वानिकीकरण हेतु अंकित धनराशि जनपद स्तर पर वन विभाग के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा **स्तम्भ-10** में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एवं अन्य आदेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार तथा बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1533/52-3-2013-सा(30)/13, दिनांक 14 अगस्त, 2013 में अल्पसंख्यकों के लिये 20 प्रतिशत एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-285/26-3-2014-3(15)/2007-टी0सी0, दिनांक 03 मार्च, 2014 के अनुसार 17 पिछडी जातियों हेतु 7.5 प्रतिशत तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या, समेकित रूप से गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10- प्रस्तर-1 में दी जा रही प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष जनपद स्तर पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यो, जो स्थल पर चिन्हांकित एवं सत्यापन योग्य हों, का स्थलीय निरीक्षण भी नियमित रूप से एक स्तर उच्च तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यो के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यो का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

12- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 **(सामान्य/ आयोजनागत)** के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक- **''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-04-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य''** के नामे डाला जायेगा।

-------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- यह आदेश (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,

संख्या-25/2016/ 2164(1)सी0डी0/46-3-16-1000(30)/2016 -तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार,(आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
10- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
12- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
13- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
14- संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।
15- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
16- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
17- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,/ वन अनुभाग-5
19- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2,
20- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-25 /2016/ 2164 सी0डी0 /46-3-16-1000(30)/2016 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) मद की स्वीकृत कार्ययोजना/धनराशि

क्र0	जनपद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश 80 प्रतिशत (ला0रू0)	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मेरठ	1	जयसिंहपुर से खाईखेडी मार्ग	1.500	50.538	38.61	0.19	4.25	34.17
		2	मवाना जयसिंहपुर मार्ग से खाईखेडी मार्ग	1.000	30.556	23.34	0.12	2.57	20.65
		3	मखदूमपुर रोड से सर्वोदयनगर कुण्डा मार्ग	1.100	33.525	25.61	0.13	2.82	22.66
		4	लावड सफीपुर मार्ग से दुल्हैडा चौहान	1.100	42.446	32.43	0.16	3.57	28.70
		5	रोहटा बाडम रोड से ग्राम रासना मार्ग	1.960	56.234	42.96	0.21	4.73	38.02
		5	**योग**	**6.660**	**213.299**	**162.95**	**0.81**	**17.94**	**144.20**
2	हापुड़	1	भगवानपुर से ढाना सम्पर्क मार्ग	1.000	30.160	23.04	0.12	2.54	20.38
		2	अनूपशहर नहर से भगवानपुर सम्पर्क मार्ग	1.230	38.210	29.19	0.15	3.21	25.83
		3	बकसर स्याना नहर की पटरी से रझेठी सम्पर्क मार्ग (द्वितीय भाग)	1.000	32.000	24.45	0.12	2.69	21.64

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		4	सिम्भावली नवादा रोड से गोर्वधनपुर माजरा मौ0पुर खुडलिया सम्पर्क मार्ग	0.740	29.200	22.31	0.11	2.46	19.74
		4	**योग**	**3.970**	**129.570**	**98.99**	**0.50**	**10.90**	**87.59**
3	बिजनौर	1	धामपुर नूरपुर रोड से चकरपुरी होते हुये ईदगाह निदइ (अल्पसंख्यक)	0.800	63.907	48.82	0.24	5.38	43.20
		2	भगवानवाला से मेघावाला मार्ग	0.550	26.891	20.54	0.10	2.26	18.18
		3	नसीरदिवाला से बालकिशनपुर	0.800	62.186	47.51	0.24	5.23	42.04
		4	मन्धी अमखेड़ा मार्ग (अल्पसंख्यक)	1.000	59.364	45.35	0.23	4.99	40.13
		5	मोहम्मद सादा मार्ग	0.400	33.052	25.25	0.13	2.78	22.34
		5	**योग**	**3.550**	**245.400**	**187.47**	**0.94**	**20.64**	**165.89**
4	मुरादाबाद	1	छजलैट से ईस्माइलपुर सम्पर्क मार्ग	1.500	53.838	41.13	0.21	4.53	36.39
		2	सूरजनगर स्योहारा मार्ग से ग्राम सूरजनगर में मोहल्ला माहीगिरान सम्पर्क मार्ग	0.200	25.626	19.58	0.10	2.16	17.32
		2	**योग**	**1.700**	**79.464**	**60.71**	**0.31**	**6.69**	**53.71**
5	अमरोहा	1	अतरासी से देवीपुरा	0.750	37.445	28.61	0.14	3.15	25.32
		1	**योग**	**0.750**	**37.445**	**28.61**	**0.14**	**3.15**	**25.32**
6	लखीमपुर	1	दुबग्गा पी0डब्लू0डी0 रोड से जमकोहना मार्ग	2.000	69.140	52.82	0.26	5.82	46.74
		2	दोनवापुरवा मार्ग से भानपुर (पिछडी जाति)	0.500	19.040	14.55	0.07	1.60	12.88
		3	शारदानहर से मजरा रामलाल (पिछडी जाति)	0.350	12.800	9.78	0.05	1.08	8.65
		4	बालकरामपुरवा से गुरूमीतसिंह मार्ग पिपरा नदी पार से ठकुरनपुरवा तक (अल्पसंख्यक)	1.000	36.170	27.63	0.14	3.04	24.45

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		5	श्रीनगर से बन्धा मार्ग (अल्पसंख्यक)	0.400	16.790	12.83	0.06	1.41	11.36
		5	**योग**	**4.250**	**153.940**	**117.61**	**0.58**	**12.95**	**104.08**
7	सीतापुर	1	हरगांव गुरूदफा मार्ग से मदनापुर मार्ग	1.500	49.710	37.98	0.19	4.18	33.61
		2	सिहानीपारा से गौसापुर होते हुये पगरोई मार्ग	1.500	53.150	40.61	0.20	4.47	35.94
		3	हरगांव महोली रोड से रायपुर	1.750	63.960	48.86	0.24	5.38	43.24
		4	रोहिला बसारा मार्ग (अल्पसंख्यक)	1.500	48.540	37.08	0.19	4.08	32.81
		5	नेरी पिसावा मार्ग से देवकली मार्ग	0.585	19.230	14.69	0.07	1.62	13.00
		6	विसवा लहरपुर मार्ग से बहादुरपुर मार्ग (अल्पसंख्यक)	0.850	28.220	21.56	0.11	2.37	19.08
		7	नेरी चन्दनपारा मार्ग चैनेज 2400 मी0 के आगे	0.750	24.420	18.66	0.09	2.06	16.51
		8	मधवापुर से किन्हौटी मार्ग प्र0 भाग	0.700	22.800	17.42	0.09	1.92	15.41
		9	मधवापुर से किन्हौटी मार्ग द्वि0 भाग	1.000	32.540	24.86	0.12	2.74	22.00
		9	**योग**	**10.135**	**342.570**	**261.72**	**1.30**	**28.82**	**231.60**
8	बहराइच	1	प्रेमदास कुट्टी से धरमपुर ग्राम तक (पिछडी जाति)	1.000	35.700	27.27	0.14	3.00	24.13
		2	गोण्डा मार्ग पर बनकट से रजवापुर (अल्पसंख्यक) (पिछडीजाति)	1.600	56.980	43.53	0.22	4.79	38.52
		3	बहराइच गोण्डा मार्ग के 10वे कि0मी0 से कौरैमऊ ग्राम तक (पिछडी जाति)	0.400	14.410	11.01	0.06	1.21	9.74
		4	नानपारा बहराइच बाईपास मार्ग से अंगनूपुरवा होते हुये नौवापुरवा ग्राम तक (पिछडी जाति)	1.150	52.290	39.95	0.20	4.40	35.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		5	रघुपुरवा से शिवदास ग्राम तक प्र0 भाग (अल्पसंख्यक) (पिछडी जाति)	1.590	59.130	45.18	0.23	4.98	39.97
		6	रघुपुरवा से शिवदास ग्राम तक द्वि0 भाग	0.970	35.760	27.32	0.14	3.01	24.17
		6	**योग**	**6.710**	**254.270**	**194.26**	**0.99**	**21.39**	**171.88**
		37	**महायोग**	**37.725**	**1455.958**	**1112.32**	**5.57**	**122.48**	**984.27**

(रू0 ग्यारह करोड बारह लाख बत्तीस हजार मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।